

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

//आदेश//

क्रमांक/कोविड-19/स्टे.आयु./2021/3768

भिलाई, दिनांक 18/03/21

नोबल कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने एवं मॉस्क लगाये जाना प्रशासन द्वारा अनिवार्य किया गया है।

अतः उक्त कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी संक्रमण के रोकथाम हेतु निगम क्षेत्रांतर्गत निम्नलिखित तालाबों/उद्यानों/खेलकुद मैदानों को आगामी आदेश पर्यन्त तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है :-

क्र.	तालाब का नाम
1.	भेलवा तालाब, नेहरु नगर
2.	शहीद पार्क, सेक्टर-5
3.	शहीद राजेश पटले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर-2
4.	मैत्री गार्डन, मरौदा
5.	बापू नगर उद्यान, जोन-4, खुर्सीपार
6.	वार्ड 25, जवाहर नगर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस.
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

क्रमांक/कोविड-19/स्टे.आयु./2021/3769

भिलाई, दिनांक 18/03/2021

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर सह प्रशासक महो. नगर पालिक निगम भिलाई को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र, इस्पात भवन, भिलाई को सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक, नगर सेवाये, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई को सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
5. अधीक्षण अभियंता, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त, I/II, नगर पालिक निगम,भिलाई को सूचनार्थ।
7. जोन आयुक्त/कार्यपालन अभियंता, जोन-1,2,3,4,5,6 को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम भिलाई को निगम के वेबसाईट (आदेश फाईल) में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
9. संबंधित विभाग प्रमुखनगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई